भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1485
09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : डिजिटल कृषि मिशन की प्रगति

1485. श्री अ. मनिः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डिजिटल कृषि मिशन धर्मपुरी जिले सहित पूरे तमिलनाडु में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में किसान पहचान पत्र तैयार करने, गांव के मानचित्रों की जियो-रेफरेंसिंग करने और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) करने के संबंध में हुई प्रगति और दर्ज की गई विशिष्ट उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2024-25 में रबी के मौसम के दौरान धर्मपुरी जिले में कितने गांवों में जियो-रेफरेंसिंग और डीसीएस का कार्य पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण किए गए भूखंडों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) पीएम किसान प्रशासनिक निधि के अंतर्गत कैम्प मोड दृष्टिकोण सहित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय ई. गवर्नेंस योजना (एनईजीसीए) धर्मपुरी में लागू की जा रही है और अभी तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में किसानों की रजिस्ट्री समय पर करने और इसका सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार ने सितंबर, 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन में कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता तथा प्रोफ़ाइल मानचित्र के सृजन और केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा की गई अन्य आईटी पहलों की परिकल्पना की गई है, ताकि तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले सहित देश में एक सुदृढ़ डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को सक्षम किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप नवीन किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें विश्वसनीय बनाया जाएगा। फसल

संबंधी जानकारी सभी किसानों को समय पर उपलब्ध होती है। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं, यानी, भू-संदर्भ ग्राम मानचित्र, बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं और रखे जाते हैं।

(ख) और (ग): डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत राज्य किसान रजिस्ट्री में महिला किसानों सहित सभी भू-धारक किसान शामिल हैं। दिनांक 30.11.2025 तक, तमिलनाडु के 32,73,861 किसान आईडी सहित देश भर में कुल 7.67 करोड़ किसान आईडी सृजित की गई हैं। इसके अलावा, देश भर में कुल 5,91,030 गाँवों का भू-संदर्भन किया गया है, जिनमें तमिलनाडु के 17,164 गाँव शामिल हैं। खरीफ 2025 में, तमिलनाडु के 3.44 करोड़ भूखंडो सहित देश के 28.5 करोड़ से अधिक भूखंडों को कवर करते हुए 604 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) किया गया है ।

तमिलनाडु के धर्मपुरी ज़िले में कुल 1,44,033 किसान आईडी सृजित की गई हैं। इसके अलावा, धर्मपुरी ज़िले के सभी 479 गाँवों का भू-संदर्भीकरण किया गया है और रबी 2024-25 में ज़िले के सभी गाँवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है।

(घ): सरकार एग्रीस्टैक के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

i. राज्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
ii. किसान पहचान पत्र और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर।
iii. परियोजना निगरानी इकाई तैयार करने के लिए मानव संसाधनों को कार्य पर रखने हेतु सहायता।
iv. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना।
v. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई)) ने वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजी निवेश के लिए 6000 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) की स्कीम की घोषणा की है।
vi. इसके अलावा, सरकार ने राज्यों को कैंप-मोड दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है, जिसके तहत राज्यों को क्षेत्र-स्तरीय शिविर आयोजित करने और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति शिविर 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

vii. किसान रजिस्ट्री को तैयार करने और सत्यापन में तेजी लाने के लिए, पीएम किसान स्कीम के प्रशासनिक कोष से प्रति किसान आईडी 10 रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग किसान रजिस्ट्री के निर्माण में शामिल क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

viii. तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि राज्य ने किसान रजिस्ट्री के तहत किसानों के नामांकन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पीएम किसान प्रशासनिक कोष का उपयोग किया है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य को वर्ष 2025-26 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए 29.934 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, राज्य ने सूचित किया है कि इसमें से डीसीएस खरीफ 2025 के संचालन के लिए धर्मपुरी जिले को 22.13 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने किसान पहचान पत्र सृजित करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को 58.45 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है, ताकि इस निधि का उपयोग उनकी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सके।

(ङ): तमिलनाडु राज्य ने सूचित किया है कि नामांकन बढ़ाने के लिए ग्राम स्तरीय शिविरों को सुदृढ़ करने हेतु जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि

i. पट्टा हस्तांतरण में तेजी लाएँ, कानूनी उत्तराधिकारियों को और मृत्यु के मामलों में पट्टा जारी करें।

ii. लंबित अभिलेखों के सत्यापन में तेजी लाएँ।

iii. जिले से बाहर रहने वाले किसानों को सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से नामांकन के लिए सूचित करें।

iv. आईईसी गतिविधियों के माध्यम से छूटे हुए किसानों को तत्काल नामांकन के लिए प्रेरित करें।

*****